an>

Title: Need to appoint a senior solicitor in the writ petition no.202 (1995 & 1996) pending in Supreme Court.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)ः सिंधुदुर्ग जिले में भारी मात्रा में निजी वन क्षेत्र कई वर्षों पहले जाहिर हुआ। करीबन 40242 हेक्टेयर निजी जमीन के ऊपर 15 वर्षों पहले वन स्वदन्य (प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड) की गई, उसी कारण वहां के स्थानीय ग्राम वासियों के सामने मुसीबतें खड़ी हुई। खुद की जमीन होने के बावजूद भी उसका उपयोग ग्रामवासी न ही घर के लिए और न ही अन्य किसी के लिए उपयोग कर सकते हैं। ग्रामवासियों ने कई शिकायतें जिला पूशासन और महाराष्ट्र के महसूल विभाग के पास कई बार की। जिला पूशासन सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के महसूल विभाग ने ग्रामवासियों की शिकायतों की जांच की और 40366 हेक्टेयर निजी जमीन निजी वन क्षेत्र से निकालने की सिफारिश केन्द्र सरकार के पास की। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में पूलंबित है। केन्द्र सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जो दावा (रिट पिटिशन नम्बर 202, 1995 और 1996) पूलंबित है, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ सोलिसिटर की नियुक्ति करने की जरूरत है।